

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन,
जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी अभिषेक गोयल (आर0ए0एस0)

क्रमांक/राजस्व/2019/प.(-2019)

दिनांक 18-6-19

निमित्त,

तहसीलदार
कपासन

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

मोहन पिता शम्भु जी गाडरी, आयु बालिग, निवासी रेन का खेड़ा, तहसील कपासन,
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

--प्रार्थी

बनाम

1. छगन पिता जयराम जी गाडरी, आयु बालिग, निवासी रेन का खेड़ा, तहसील कपासन,
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
2. हांसुडी पुत्री जयराम जी गाडरी, आयु बालिग, निवासी रेन का खेड़ा, तहसील कपासन,
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
3. गोपी पुत्री जयराम जी गाडरी, आयु बालिग, निवासी रेन का खेड़ा, तहसील कपासन,
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
4. बंशी पिता कालु जी गाडरी, आयु बालिग, निवासी रेन का खेड़ा, तहसील कपासन,
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
5. शंकर पिता कालु जी गाडरी, आयु बालिग, निवासी रेन का खेड़ा, तहसील कपासन,
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
6. गणेश पिता हजारी जी गाडरी, आयु बालिग, निवासी रेन का खेड़ा, तहसील कपासन,
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
7. मगन पिता गमेर जी गाडरी, आयु बालिग, निवासी रेन का खेड़ा, तहसील कपासन,
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
8. कस्तुरी पत्नी तलोक जी गाडरी, आयु बालिग, निवासी रेन का खेड़ा, तहसील कपासन,
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
9. तलोक पुत्र सुरजमल जी गाडरी, आयु बालिग, निवासी रेन का खेड़ा, तहसील
कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
10. प्यारी बाई पत्नी हजारी जी गाडरी, आयु बालिग, निवासी रेन का खेड़ा, तहसील
कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
11. प्रेमी पुत्री हजारी जी गाडरी, आयु बालिग, निवासी रेन का खेड़ा, तहसील कपासन,
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
12. श्रीमान् तहसीलदार साहब कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या 54/2019

:- प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी :-

उपरोक्त अनवान से सम्बन्धित प्रकरण में आपको 500/- रूपया शुल्क पर
कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा मौजा ग्राम बालारड़ा,
पटवार हल्का बालारड़ा, तहसील कपासन की खाता संख्या 149 की आराजी संख्या 136
रकबा 0.07 हेक्टर, आराजी संख्या 137 रकबा 0.07 हेक्टर, आराजी संख्या 1500/137
रकबा 0.07 हेक्टर की उभय पक्षकारन को जरिये समन नोटिस तलब कर चारों दिशाओं की
पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो
पत्थरगढ़ी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना
रिपोर्ट पेश करें तथा कमिश्नर फिस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें साथ ही यह सुनिश्चित करें
कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो।



(अभिषेक गोयल,
कलेक्टर, चित्तौड़गढ़)